न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर जिला हनुमानगढ़

2/1

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

विविध 34/2016

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

– अपीलांट

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र श्री चेतराम जाति नायक निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्र पुत्र श्री चेतराम जाति नायक निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजू पुत्र श्री चेतराम जाति नायक निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. विमला पुत्री चेतराम जाति नायक निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. पूर्णराम पुत्र श्री रूपाराम जाति नायक निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार (राजस्व) रावतसर दिनांक 25.01.2016 चक न. 4 आरपीएम के नामान्तरकरण सं. 322

उपस्थितः– राज पेरोकार, अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय **दिनांकः–**

सत्यमेव जयते
Web Copy : Not Official

अपीलांट ने तहसीलदार रावतसर के निर्णय दिनांक 25.01.2016 के विरूद्ध अपील पेश कि जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक नं. 4 आरपीएम के प0न0 196/15(41) कि0न0 20 की 0.253 है0, 196/7(42) कि0न0 16 ता 19 की 1.012 है0 कुल 1.265 है0 भूमि बतौर स्मालपेच देवीलाल वगैरह को दिनांक 25.10.2012 को सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा स्माल पेच में आवंटित किया गया, जिससे व्यथित होकर पूर्णराम रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के अपील प्रस्तुत कर निर्णय को दिनांक 10.04.2013 को चुनौति दी गई, जिस पर अपीलीय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2013 को स्थगन आदेश जारी कर उपखण्डाधिकारी नोहर के प्रकरण सं. 02/07 निर्णय दिनांक 25.10.12 में वर्णित भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी जाने एवं रहन बैय आदि द्वारा अन्तरण नही किये जाने हेतु स्थगन आदेश प्रस्तारित किया गया, जो स्थगन आज दिनांक तक प्रभावी है, परन्तु सहवन विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन होने एवं अपील विचाराधीन होते हुए दौराने अपील एवं स्थगन अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण सं. 322 बहक रेस्पो0 1 ता 4 दिनांक 25.01.2016 को स्वीकृत करने का आदेश दिया को अपीलांट निम्न आधारों पर चुनौति दे रहा है। अपील संख्या 42/13 में दिनांक 10.04.2013 को स्थगन पारित होने के बाद दिनांक 10.04.2013 को स्थगन होने के कारण विचारण न्यायालय किसी प्रकार से आदेश पारित करने हेतु सक्षम नही थे, जो कानूनन निरस्ती योग्य है। अपीलाधीन निर्णय बाबत जानकारी रेस्पो0 सं0 5 द्वारा प्रश्नगत भूमि में स्थगन होने के बावजूद निर्णय पारित होने का कहने पर हुआ कि सहवन नामान्तकरण रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के हक में बावजूद स्थगन तस्दीक हो गया है। कानूनी रूप से इस प्रकार से पारित आदेश की कोई अहमियत नही है एवं इस प्रकार के आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2016 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण सं. 322 निरस्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस व रिकार्ड तलब किया गया।

बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का मैरिट के आधार पर निर्णय करने का निवेदन करने पर पत्रावली आदेश में रखी गई।

पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधीकारी हनुमानगढ द्वारा प्रकरण संख्या 42/2013 में दिनांक 10.04.2013 को जारी स्थगन आदेश एवं उसके पश्चात दिनांक 28.06.2016 तक की आदेशिका की नकल प्रस्तुत की, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश से संबंधित अराजी के संबंध में दिनांक 10.04.2013 को स्थगन जारी किया गया था तथा दिनांक 25.01.2016 की आदेशिका में स्थगन बाबत स्पष्ट उल्लेख नही है किन्तु आगे दिनांक 28.06.2016 की आदेशिका में स्थगन की अवधि बढाने का पुनः उल्लेख किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

गया है। ऐसी परिस्थिति में एवं वर्तमान में उक्त अपील की स्थिति से संबंधित कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही करने से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तरणकरण संख्या 322 दिनांक 25.02.2016 चक न0 4 आरपीएम तहसील रावतसर निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रासंगिक प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

2/3

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

24/XII/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)